



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक ३.२./अकादमी/(पात्रता)/2024

भोपाल, दिनांक १२/३/२०२४

—:आदेश:—

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से संबद्ध शारिरिक शिक्षा पाठ्यक्रम संचालित महाविद्यालयों में अध्यनरत बी०पी०एड०/एम०पी०एड० विद्यार्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व महाविद्यालयों के माध्यम से प्राप्त पात्रता आवेदनों के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा पाया गया कि अधिकतर संलग्न दस्तावेज अस्पष्ट, धूंधले होने के कारण दस्तावेजों की प्रमाणिकता के संबंध में शंका उत्पन्न हो रही है, समिति द्वारा शंका समझान हेतु कई बार महाविद्यालयों को छात्रों के मूल दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किये गये हैं ताकि प्रस्तुत आवेदनों के साथ संलग्न दस्तावेजों का मूल दस्तावेज से मिलान कर छात्रों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किये जा सके। किंतु कठिमय महाविद्यालय द्वारा मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।

इस तरह कठिमय महाविद्यालयों द्वारा छात्रों के मूल दस्तावेज उपलब्ध न कराकर विश्वविद्यालयों को सहयोग नहीं किया जा रहा है जिससे छात्रों के पात्रता प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जा सके हैं, छात्रों का नामांकन नहीं हो सका है, परीक्षा फॉर्म न भरे जाने के कारण बी०पी०एड०/एम०पी०एड० प्रथम सेमेस्टर की समय सारणी जारी नहीं की जा सकी है। इस तरह की परिस्थिति के कारण महाविद्यालयों में अध्यनरत अन्य छात्रों एवं उनके अभिभावकों में रोष होने के फलस्वरूप तनाव हो सकता है तथा परीक्षा अत्यंत विलम्ब से होने के कारण अप्रिय रिस्तेतियाँ निर्मित हो सकती हैं। दस्तावेजों के सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु आवेदकों को बाध्य की जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही हैं। अतः संलग्न सूची अनुसार समस्त छात्र अपने मूल दस्तावेजों के साथ दिनांक 20.03.2024 को दोपहर 12:00 बजे आर्यभट्ट सभागार (कुलपति कार्यालय) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल में उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

यह आदेश आवेदक विद्यार्थी तथा संबंधित महाविद्यालयों को संबोधित हैं, चूंकि वर्तमान में ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हैं और न ही यह संभव है कि यह आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक पात्रता आवेदन कर्ता बी०पी०एड०/एम०पी०एड० छात्र/प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान को दी जावे। अतः यह आदेश एक परिलक्षित पारित किया जाता है, तथा तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले/मूल दस्तावेज उपलब्ध न कराने वाले बी०पी०एड०/एम०पी०एड० के छात्रों को आगामी परीक्षा में बैठने से वंचित किया जाएगा, जिसकी समरत जिम्मेदारी छात्रों तथा महाविद्यालयों की होगी।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार

क्रमांक ३.३./अकादमी/(पात्रता)/2024
प्रतिलिपि:—

बरकतउल्ला विश्वविद्याल, भोपाल
भोपाल, दिनांक १२/३/२०२४

- समरत पात्रता हेतु आवेदनकर्ता बी०पी०एड० तथा एम०पी०एड० विद्यार्थी।
- प्राचार्य संबंधित महाविद्यालयों को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि, रथांपन पर छात्रों के दस्तावेज सत्यापन से वंचित किया जावेगा। यदि उक्त दिनांक तक छात्रों के दस्तावेज सत्यापित नहीं होते हैं तो छात्रों को परीक्षा संलग्न समिति की ओर सूचनार्थ।
- दस्तावेज सत्यापन समिति की ओर सूचनार्थ।
- अवर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मत्रालय बल्लभ भवन की ओर सूचनार्थ।
- निज सहायक के माध्यम से आयुक्त, उच्च शिक्षा की ओर सूचनार्थ।
- आई.टी.सेल. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय को वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु सूचनार्थ।
- निज सहायक के माध्यम से माननीय कुलपति/कुलसचिव को सूचनार्थ।

सहा.कुलसचिव (अकादमी)
बरकतउल्ला विश्वविद्याल, भोपाल